न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण सख्या:—155/22 दायर दिनांक:— 1.07.2022

जीसीएमएस नं. 2022/399

1 भूरी पुत्री सावलियॉ पत्नी बद्री जाति मीना निवासी खेडी घाटम हाल निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर हाल जिला गंगापुर सिटी

——प्रार्थीया

बनाम

1 रामहरि पत्नी अमरपाल
2. राहुल
3. अनिल उर्फ अन्ना
4. गोलू

पिसरान अमरपाल जाति जोगी निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री देवीसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी
1 लगा0 4

निर्णय दिनांक 4.4.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सायला व अन्य सहखातदार की संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी का आराजीयात हाल खसरा नम्बर 594 रकवा 0.30 है0 वाके तन खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी में स्थित है। उक्त आराजीयात सायला की पैतृक सम्पत्ति है, तथा सायला के अन्य भाई— बहिन केदार, कल्ला, कैलाश,गोलमा,देवीसिंह, भूरसिंह व हरगुन ने सायला को बाहमी बटवारा के अनुसार उक्त भूमि को मौके पर कब्जाकाश्त करने के लिए संभला रखा है, तथा सायला ही उक्त भूमि को काश्त कर उपयोग— उपभोग करती चली आ रही है।

वाका दिनांक 29.6.22 समय सुबह करीब 9 बजे का है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के उक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसरा न0 594 मे मकान बनाने के लिए नींव खोद रहे थे तब प्रार्थीया के भाई केदार व कल्ला ने अप्रार्थीगण से कहा कि ये उक्त भूमि हमारी बहिन भूरी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है, तुम इसमें नींव क्यों खोद रहे हो तब अप्रार्थीगण ने कहा कि हम इसमें मकान बनायेगें और तुमने हमारे ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा किया तो तुम्हारे उपर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर तुम्हें जेल में सड़ा देगें तथा तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पडेगा। तब प्रार्थीया के भाई केदार ने प्रार्थीया को फोन करके बुलाया तथा प्रार्थीया ने भी अप्रार्थीया से नींव खोदने के लिए मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया के साथ भी गाली—गलोंच की तथा का कि हमारा लट्ठ को जोर है, हम हमारी मर्जी होगी वो करेगें इस भूमि पर मकान बनाकर जबरन कब्जा करके रहेगें।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया तो सायला के बाल—बच्चे भूखे मर जायेगें तथा पक्षकारान के मध्य मुकदमें बाजी बढेगी तथा प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:07:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with CamScanner

को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पर्ति द्रव्य मे भी संभव नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन न्यायसंगत है।

अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.06.2022 को प्रार्थी को देने धमकी बाबत् करने कब्जा व बनाने निर्माण प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 594 पर बादकारण उत्पन्न हुआ इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन व अपूर्णयीय क्षति का बिन्दू भी सायला के पक्ष में बखूबी साबित है तथा अप्रार्थीगण को पाबंद करने में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं है इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा इस प्रकार पाबंद किया जावें कि आराजी हाल खसरा न0 594 रकवा 0.30 है0 वाके तन ग्राम खेडी घाटम तहसील श्रीमहावीरजी के उपयोग–उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें ना ही किसी अन्य से करावें। प्रार्थीया को शांति पूर्वक उपयोग– उपभोग करने देवें तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि में नींव खोदकर जबरन अतिकमण नही करें और ना ही कोई निर्माण करें और ना ही किसी अन्य को करने देवें तथा रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनायें रखें तथा ऐसा कोई कृत्य नही करें जिससे प्रार्थीया के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये अप्रार्थीगण की वाद तामील नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये, अप्रार्थीगण की ओर से श्री देवीसिंह अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण मे अप्राथीगण अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं0 1 स्वीकार किया एवं बिन्दू सं0 2 ता0 6 अस्वीकार करते हुए जबाव प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज यथा बही की फोटो प्रति , राशन कार्ड की प्रति , विधुत बिल की प्रति एवं जनगणना मकान पंचायत की रसीद की प्रति पेश की गई है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई, सायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। गैरसायलान के अधिवक्ता द्वारा उक्त बिन्दुओं को नकारते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उक्त विवादित आराजी की खातेदारी की भूमि से अप्रार्थीगण का संलग्न राजस्व दस्तावेजों जमावंदी संवत 2071–74 के, खाता संख्या 320 के आधार पर कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है, एवं अप्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि को पूर्व मे खरीद के सम्बंध मे अपंजीकृत व अमुद्रांकित बही की लिखावट व भूमि मे लगाये गये विधुत कनेक्शन के बिल पेश किये है। दोनो ही पक्ष अपने – अपने कब्जे का कथन करते है, उक्त समस्त स्थिति मूल दावे मे पक्षकारो की साक्ष्य के उपरांत तय कि जावेगी ऐसी स्थिति मे उभयपक्ष की दौरानेदावा पेचीदिगियां पैदा नहीं हो, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक व[illegible] को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 1.7.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषे[illegible] को मूल दावे के ता फैसला होने तक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष विवादित आराजी [illegible] व मौका की यथास्थिति ता फैसला बनाए रखें।

आदेश आज दिनांक 4.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:07:40 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Scanned with CamScanner